किताब वालों से संबंधित मसाइल व आदेश

1- ''किताब वाले'' क़ुरआन व हदीस की एक परिभाषा है और नुबुवत के काल से ही किताब वाले का लक़ब यहूदी व नसारा (ईसाइयों) दोनों गीरोहों के साथ ख़ास है। फ़ुक़हा की बहुसंख्या हान्फ़ियों में से बाद वाले सहित ने इसी को राजेह (सही) क़रार दिया है।

2- साबिईन की तहक़ीक़ में राएं बहुत अधिक भिन्न रही हैं इस लिए इनका मामला अभी तक संदिग्ध है। इस लिए किसी एक राय को अपनाना मुश्किल है।

3- यहूदी व ईसाई जब तक तौरात व इंजील और अपने पैग़म्बर के मानने के दावेदार हैं। वे क़ुरआन व हदीस की परिभाषा में अहले किताब कहलाएंगे जो ईसाई या यहूदी ख़ुदा के इन्कारी या धर्म से बेज़ार और वहय के सिरे से इन्कारी हैं। वे अहले किताब के कदापि चरितार्थ नहीं, निकाह व ज़बीहा के बारे में उनका हुक्म अहले किताब का न होगा।

4,5- बाबी, बहाई, सिख और क़ादियानी चाहे नसली हों या स्वयं ही उन धर्मों को अपनाया हो, वे अहले किताब में दाख़िल नहीं।

6- अ,ब- किताबियह से निकाह अपने आप में जायज़ होने के बावजूद वर्त्तमान दौर में किसी भी देश में किताबियह से निकाह साधारण या बिगाड़ व हानियों से खाली नहीं, अतः मुसलमानों को इससे बचना चाहिए।

7- किसी किताब का आसमानी और इन्सान का नबी व रसूल होना, ये दोनों मसले विश्वासों से संबंधित हैं और विश्वासों के लिए पक्की दलीलों का होना ज़रूरी है और अन्य क़ौमों की धार्मिक किताबों और उनके बुजुर्गों के नबी व रसूल होने पर कोई विश्वसनीय दलील नहीं, अतः अन्य क़ौमों की धार्मिक किताबों का क़ुरआन मजीद की बहुत सी एतेक़ादी और नैतिक शिक्षाओं में मात्र समानता के कारण उन किताबों के आसमानी किताब होने का यक़ीन नहीं किया जा सकता। इसी तरह ऐसी हास्तियों के पैग़म्बर होने का भी विश्वास नहीं किया जा सकता जिनके बारे में किताब व सुन्नत ख़ामोश हैं।

8- (अ) क़ौम व मिल्लत के हमदर्दों और उलमा व जन सामान्य पर अनिवार्य है कि ऐसे आधुनिक व अच्छे स्तर के शिक्षा संस्थानों की स्थापना पर ध्यान दें जिनमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दीनी व नैतिक शिक्षा व प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध हो, जब तक ऐसे संस्थानों की व्यवस्था न हो तो मजबूरी की हालत में उन संस्थानों में जहां नैतिक व धार्मिक अक़ीदों के प्रभावित होने का ख़तरा हो सावधानी हेतु कुछ तदबीर करके शिक्षा दिलाने की गुंजाइश है।

ब- भरण पोषण, पति-पत्नी के अधिकार, समाज की बेहतरी के ताल्लुक़ से जो अधिकार मुसलमान पत्नियों के हैं वही अधिकार किताबियह पत्नियों के भी हैं। मात्र किताबियह होने के कारण उनके अधिकारों को

अदा करने से बचना और छोडकर भाग आना सही नहीं, हां यदि किताबियह पत्नियों के साथ रहने से दीन प्रभावित हो रहा हो तो फिर उससे अलग रहना भी ज़रूरी है।

ज- यदि किताबियह पत्नी अपने धर्म के अनुसार धामिर्क रस्में अदा करना चाहे तो पति उस हद तक उससे आंखें मूंदेगा कि जिससे उसकी हानि स्वयं या उसके अपने बच्चों पर न पड़े।

द- ग़ैर मुस्लिम कल्याणकारी संस्थानों में सेवा करने और उनसे लाभ उठाने में मुसलमानों को सावधानी बरतनी चाहिए। यदि इन संस्थानों में किसी नौकर के ज़िम्मे कोई ऐसा काम हवाले किया जाए या क़र्ज़ आदि से लाभ उठाने के नतीजे में कोई ऐसा काम करना पड़े जिसमें ईसाइयत के मिशन की मदद या प्रगति हो या असत्य अक़ीदों व दृष्टिकोणों से प्रभावित होने की शंका हो तो ऐसी सेवा से इन्कार वाजिब है और लाभ उठाना जायज़ नहीं, सामुदायिक व सामाजिक मुस्लिम संस्थाओं की यह ज़िम्मेदारी है कि वैकाल्पिक व्यवस्था पर ध्यार दें।

नोटः 25 वां फ़िक्ही सेमिनार (बदरपुर,आसाम) दिनांक 25-27 रबीउस्सानी 1437 हि0 - 5-7 फ़रवरी 2016 ई0